



सेवा में,

निदेशक,

ए.बी.ई.एस. इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी,
गाजियाबाद।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 1945/सोलह-1-2009-13(4)/2009, दिनांक 24 जुलाई 2009 तथा पत्र संख्या 3288/सोलह-1-2009-13(7)/09, दिनांक 10 अक्टूबर, 2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28 जुलाई 2009 एवं 15 अक्टूबर, 2009 में ए.बी.ई.एस. इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न पाठ्यक्रमों को-

- | | |
|--|--------|
| 1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी० | 90 सीट |
| 2. इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग | 60 सीट |
| 3. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनीकेशन इंजी० | 90 सीट |
| 4. इनफारमेशन टेक्नोलॉजी | 60 सीट |
| 5. एम०बी०ए० | 60 सीट |

उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु दिनांक 1-7-2009 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर, विलम्बतम 30 अक्टूबर, 2009 तक संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 तक अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2010-11 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
9. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय


(यू०एस०तौमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।


(यू०एस०तौमर)
कुलसचिव